GOVT. OF NCT OF DELHI DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE GLNS COMPLEX, DELHI GATE.NEW DELHI-02 (ADMINISTRATION BRANCH)

Dated:

No.F. 44(255)/2017/DSW/Cir/Estt./9465-9535

CIRCULER

Please find enclosed the copies of the following letters received in this Department for information and further necessary action:

- No. F.260/DDE(IEDSS)/Admn.Cell/2017-18/1745 dated 29.06.2017 received from the Dy. Director of Education (IEDSS) Directorate of Education, GNCT of Delhi regarding to create awareness amongst parents/guardians, Children with Special Needs (CWSN) and teaching staff regarding the scheme of Financial Assistance to persons with special Needs being implemented by Department of Social Welfare and Women & Child Development, GNCTD.
- No.F.2 (3)/2017-18/Language/577 dated 31.05.2017 received from the Dy. Secretary, Department of Art, Culture and Language (Urdu Cell) regarding four days workshop for government Officers and Officials.

Encls: As above.

No.F.44(255)/2017/DSW/Cir/Estt./9465-9535 Copy to:

Dated: 10 JUL 2017

Sunde (Admn.)

10 JUL 2017

- 1. All DDs/DSWOs, DSW, GNCTD, Delhi Gate, Delhi
- 2. All Supdts/DDO/HOO of Homes/Institutions, DSW, GNCTD, Delhi Gate, Delhi
- 3. System Analyst, DSW for uploading the circular on the Departmental website.
- 4. Guard file.

12 Mil

Sh. Abhisher

undt. (Admn.)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग (उर्दू सेल)

सी- विंग, सातवां तल, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-2.

सं0फा0 2(03) / 2017-18 / भाषा / 577

सेवा में,

WF

16

Date 29/6

- समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार। 1.
- विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष समस्त अधीनस्थ, स्वायत्त संस्थाएं, स्थानीय निकाय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। 2.
- ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश, तीस हज़ारी, दिल्ली-54 3.
- आयुक्त, पूर्वी/पश्च्मी/दक्षिणी दिल्ली नगर निगम दिल्ली। 4.
- अतिरिक्त जपायुक्त(भाषा), राजभाषा, अनुभाग, सिविल सैंटर, मिंटो रोड, नई दिल्ली। विशेष कार्याधिकारी, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली। 5.
- 6.
- 7.
- महाप्रबंधक, दिल्ली परिवहन निगम (मुख्यालय), इन्द्रप्रस्थ इस्प्टेट, नई दिल्ली। उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आई०एन०ए०, नई दिल्ली। 8.
- विभागाध्यक्ष, दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड, शक्ति सदन, कोटला रोड, नई दिल्ली। 9.
- 10. निदेशक (प्र0 एवं का0), दिल्ली जल बोर्ड, झंडेवालान, नई दिल्ली।
- 11. उप-सचिव, दिल्ली विधानसभा सचिवालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
- 12. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, 12वां तल, एम०एस०ओ० बिल्डिंग,
- आई०पी० इस्टेट, नई दिल्ली-2

Office of the Secretry SWIWCD) Deptt. of Social Welfare Govt. of NCT of Dethi 2 9 JUN 2017 Dy. No. 30%

दिनांकः 31/5/

- 13. संयुक्त निवेशक (प्रशासन) दिल्ली पुलिस, मुख्यालय, आई०पी० इस्टेट, नई दिल्ली-2 प्रधानसार्य, तीब्बया कालेज, अजमल खां रोड, नई दिल्ली--5
- 15. सी0ई0ओ0, दिल्ली वक्फ बोर्ड, दरियागंज, नई दिल्ली–2 16. सी0ई0ओ0, दिल्ली स्टेट हज कमेटी, आसफ अली रोड, नई दिल्ली–2

विषयः सरकारी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए चार दिवसीय उर्दू वर्कशाप/रिफ्रेशर कोर्स के आयोजन संबंधी में।

महोदय, दिल्ली सरकार की नई भाषा नीति और ''दिल्ली राजभाषा अधिनियम 2000'' के संदर्भ में उर्दू भाषा के प्रोत्साहन, प्रचार प्रसार और सरकारी काम काज में उर्दू के एक अनिवार्य स्तर तक प्रयोग की दिशा में अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रेरित / प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से भाषा विभाग (उर्दू सैल) की उर्दू प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के क्रम में चार दिवसीय उर्दू वर्कशाप/रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन किया जा रहा है।

उर्दू वर्कशाप/रिफ्रेशर कोर्स में कोई वर्ग विभाजन नही है। इस में सभी अधिकारी/कर्मचारी भाग ले सेकती हैं। इस में भाग लेने वाले अधिकरियों / कर्मचारियों को पुस्तकें / शब्द कोष, कलम, नोट बुक एवं प्रमाण प्रत्र भी दिये जाएंगे।

उपरोक्त कार्यकम के संबंध में आपसे अनुरोध है कि अपने विभाग/कार्यालय एवं इसके अधीन समस्त निकायों/कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतियोगिता एवं रिफ्रेशर कोर्स के बारे में अवगत करवाने का कष्ट करें एवं इच्छुक अधिकरियों / कर्मचारियों के नाम संलग्न प्रपन्न में भरकर शीघ्र इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें। उक्त कार्यकम की तिथि समय एवं स्थान की जानकारी बाद में पत्र/द्वरभाष द्वारा दी जाएगी।

🋇 अन्य जानकारी इस विभाग की दूरभाषा संख्या 23392001–4 (इन्टरकाम 3718) एवं वैबसाइट artandculture.delhigovt.nic.in से भी प्राप्त की जा सकती है।

र संग्रमा० २(03) / 2017-18 / भाषा / 578

1. सचिव, उप-राज्यपाल, दिल्ली।

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाही हेतुं अग्रसारितः-

(बी. एस. वशिष्ठ) उप-सचिव दिनांक: 31/05/17

(बी. एस. वशिष्ठ)

उप-सचिव

व. वीर्टाहर

NOVNO निजि सचिव, मुख्य मंत्री, दिल्ली सरकार। 2. 3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, दिल्ली सरंकार, दिल्ली। 4. निजी सचिव, (कला, संस्कृति एवं भाषा), सचिवालय, नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सचिवालय के समस्त विभागाघ्यक्ष।



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग (उर्दू सेल) सी–विंग, सातवा तल, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली–2

1.3. 31. S.M.

<u>उर्दू वर्कशाप/रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने के लिये</u> प्रपन्न

1.	अधिकारी / कर्मचारी का नाम :			
2.	पिता/पति का नाम ः			
3.	पदनाम :	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
4.	उर्दू भाषा की शैक्षिक योग्यता ः			
5.	विभाग / कार्यालय			
	. (पूरा पता, ईमेल एवं दूरभाष सहित)			
			· · · · · ·	
	निवास का पूरा पता दूरभाष स० र	नहितः	T.	
•				

प्रेषण अधिकारी का हस्ताक्षर एवं मोहर

OFFICE OF THE DEPUTY DIRECTOR OF EDUCATION (IEDSS & IE-SSA), (ADMINISTRATIVE CELL), DIRECTORATE OF EDUCATION, GNCT OF DELHI AMRITA SHERGIL SCHOOL BLDG, LAJPAT NAGAR Social Welfare NEW DELHI-110024

No. F.260/DDE(IEDSS)/Admn.Cell/2017-18/1745

CIRCULAR

All HOS of Govt., Govt Aided and recognized Private Unaided schools are hereby directed to create awareness amongst parents/guardians, Children with Special Needs (CWSN) and teaching staff regarding the scheme of Financial Assistance to Persons with Special Needs being implemented by Department of Social Welfare and Women & Child Development, GNCTD. The salient features of the scheme are reproduced below:

The scheme aims to:

Facilitate the care of children with special needs, acknowledging the high cost of care giving.

2. Facilitate education, training and employability of persons with disability, so that they may fulfil their role and potential in society and lead a life of dignity.

3. Help ensure survival of the person with special needs and their family.

Under the scheme, financial assistance of Rs. 2500/- per month is credited to the EL bank accounts of such persons residing in Delhi. The scheme is available to all persons fulfilling the following eligibility criteria-

Age between 0-59 years

Disability at least 40% and above and have a disability certificate issued from a govt. hospital

c) Resident of Delhi for at least 5 years prior to application

d) Family income not more than Rs. 1.00 lakh per annum

e) Having an Aadhaar number

Having a single-operation bank a/c. This provision may be relaxed for minors or those not able to operate a single a/c. The a/c also needs to be linked with the Aadhaar number of the applicant.

Application can be made online on portal edistrict.delhigovt.nic.in. Alternatively, the form can be downloaded from the website of Department of Social Welfare and Norman & Child Development and submitted in the district offices.

For any clarification about scheme or the application procedure, Ms. Saroj Rawat, Dy. Director (Financial Assistance Scheme) may be contacted through phone on 011-23392466 or by email on <u>fasdsw@gmail.com</u>

Mary No. Stor of Navie

Riadio

2 9 JUN Bured: 2 B-6. 17

(ASEÈM KUMAR GOEL) DEPUTY DIRECTOR OF EDUCATION (IEDSS)

No. F.260/DDE(IEDSS)/Admn.Cell/2017-18/

Dated:

Copy to:/

P.S. to Secretary (SW/WCD), Department of Social Welfare and Women & Child Development, GNCTD

002000

1

- 2. P.S. to Secretary (Education), GNCTD
- 3. P.S. to Director (Education), Directorate of Education, GNCTD
- 4.-P.A. to Spl. DE(IEDSS), Directorate of Education, GNCTD
- 5. DDE (All districts), Directorate of Education, GNCTD
- 6. OS (IT) for uplinking
- 7. Guard File

(ASEEM KUMAR GOEL) DEPUTY DIRECTOR OF EDUCATION (IEDSS)